सुधार परिपत्र सं.4

सांसद स्थानीय क्षेत्र विकास योजना

भारत सरकार
सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय
सरदार पटेल भवन, नई दिल्ली-110001
फैक्सः 23364197
ई-मेलः mplads@nic.in

सं.सी-06/2011-एमपीलैड्स

दिनांकः 17 जून, 2011

सेवा में,

आयुक्त,
कोलकाता/ चेन्नई/दिल्ली नगर निगम
जिला कलेक्टर /जिला न्यायाधीश/उपायुक्त ।

विषयः वर्तमान एमपीलैड्स दिशा-निर्देशों में संशोधन ।

महोदय,

मंत्रालय को पिछले कुछ वर्षों से अनेक स्टेकहोल्डर्स से विभिन्न प्रतिवेदन एवं सुझाव प्राप्त हो रहे हैं, जिसमें एमपीलैड्स योजना संबंधी दिशा-निर्देशों के कई प्रावधानों में परिवर्तन/संशोधन करने का अनुरोध किया गया है । इनकी जांच की गई है और राज्यों/संघ शासित क्षेत्रों में योजना के प्रबोधन के कार्य चालन अनुभव एवं विचार-विमर्श के आधार पर अनुवर्ती पेराग्राफों में कुछ सुधार करने का निर्णय लिया गया है ।

2. दिशा-निर्देश के पैरा 2.6 को संशोधन के पश्चात् इस प्रकार पढ़ा जाएः-

"प्रत्येक सांसद वित्तीय वर्ष के दौरान संबंधित जिला प्राधिकारी को अनुबंध-III पर दिए गए प्रपत्र में वार्षिक हकदारी तक के कार्यों की सिफारिश करेगा । जिला प्राधिकारी राज्य सरकार की स्थापित प्रक्रिया के अनुसार पात्र स्वीकृत कार्यों को निष्पादित करवाएगा" ।

3. दिशा-निर्देश के पैरा 3.12 को संशोधन के पश्चात् इस प्रकार पढ़ा जाएः-

"सिफारिश प्राप्त होने की तिथि से 75 दिनों के भीतर सभी औपचारिकताएं पूर्ण करने के पश्चात् सभी सिफारिश किए गए पात्र कार्य संस्वीकृत किए जाएं । तथापि, जिला प्राधिकारी सिफारिशों की प्राप्ति की तिथि से 45 दिनों के भीतर अस्वीकृति के संबंध में, यदि कोई हो, सांसद को उसके कारण सहित सूचित करेगा" ।

4. निम्नलिखित को दिशा-निर्देशों के पैरा 3.27 के रूप में शामिल किया जाएगाः-

"जिला प्राधिकारी सांसदों को अ.जा./अ.ज.जा. आबादी वाली क्षेत्रों की परियोजनाओं सहित 'परियोजनाओं की सूची' उपलब्ध करवाएगा एवं उसका अनुरक्षण करेगा । परियाजनाओं की सूची केवल सुझावपरक होनी चाहिए ताकि वह सांसद को छूट प्रदान कर सके कि वे लोगों की आवश्यकता को पूर्ण करने के क्रम में सूची से परे जा सकें ।"

5. इसे माननीय मंत्री महोदय की अनुमति से जारी किया जाता है ।

भवदीय,

पंकज जैन

(पंकज जैन)
अपर सचिव

प्रतिलिपि सूचनार्थः

1. सभी माननीय संसद सदस्य (लोक सभा/राज्य सभा) ।
2. एमपीलैड्स (सभी राज्य/संघ शासित क्षेत्र) से संबंधित नोडल विभागों के सचिव ।
3. एमपीलैड्स संबधी राज्य सभा समिति, राज्य सभा सचिवालय, नई दिल्ली ।
4. एमपीलैड्स संबधी लोक सभा समिति, लोक सभा सचिवालय, नई दिल्ली ।
5. एमपीलैड्स प्रभाग के संबंधित अधिकारी ।
6. एनआईसी को एमपीलैड्स की वेबसाइट पर अपलोड करने के लिए ।